TO BE PUBLISHED IN THE
OFFICIAL GAZETTE OF
STATE IMMEDIATELY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 576/EXIT/2019/SDR/Vol-I Dated: 18th November, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the schedule for the **General Election to the Legislative Assembly of Jharkhand** was announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/102/2019, dated 1st November, 2019; and

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M on 30th November, 2019 (Saturday) and 5:30 PM on 20th December, 2019 (Friday)** as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the above mentioned **General Election to the State Legislative Assembly of Jharkhand**, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in each phase of the aforesaid General election.

By order,

(N.T. BHUTIA)
Secretary

राज्य के शासकीय राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ ,

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली110001 -

संख्या /576एक्ज़िट/2019/एस.डी.आर.-खण्ड-I

तारीख- 18 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

यतः, झारखंड के विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/102/2019, दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के द्वारा घोषित की जा चुकी है;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधो के संबंध में एतद्द्वारा, 30 नवम्बर, 2019 (शनिवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे से 20 दिसम्बर, 2019 (शुक्रवार) अपराह्न 05:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसे अवधि के रुप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपरोक्त वर्णित झारखंड के विधान सभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

(एन.टी.भूटिया)
सचिव